of undue benefit to contractors, excess/ irregular payments, variation in quantity of work due to inadequate pre-construction investigations, infructuous and unfruitful expenditure, non-realisation of royalty charges at revised rates, non-acceptance of tender within the validity period and unauthorised aid to contractors & excess payments to a cement supplier, in respect of Upper Indravati Project. The report has been laid on the Table of the State Legislature on 31-11-1993. It is for the State Government to take action on the report.

COMPLETION OF UPPER INDRAVATI PROJECT

3485. SHRI BASANT KUMAR DAS : Will the Minister of WATER RESOURCES be pleased to state :

(a) whether the restoration work of the tunnel, penstock and power house in upper Indravati Project in Orissa has been completed after the disaster in 1991;

(b) what was the amount of funds sanctioned for the restoration purpose; and

(c) whether the sanctioned amount is fully utilised ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF URBAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P. K. THUNGAN) : (a) The progress achieved on restoration works of the tunnel penstock and power house of the Upper Indravati Project is 74 per cent, 19 per cent and 84 per cent respectively.

(b) and (c) Out of the sanctioned amount of Rs. 17.18 crores for restoration works, the expenditure incurred upto 6|93 is Rs. 5.86 crores.

एटा जिले में भूमिगत जल की जांच

3486. श्रीमती सत्या बहिन : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन क्षेत्रों में भूमिगत जल दूषित है और पीने योग्य नहीं है, वहां के निवासियों को पेय ज [illegible] कराने के संबंध में सरकार की योजना क्या है;

(ख) क्या भूमिगत जल स्तर की समय-समय पर जांच की जाती है और यदि हां तो उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि एटा जिले की जलेसर तहसील के लगभग दो दर्जन गांवों का भूमिगत जल दूषित, कडवा और जहरीला हो जाने के कारण वहां के निवासी दूषित जल पीने को मजबूर हैं; और

(घ) क्या सरकार इस प्रयोजनार्थ कोई राहत अथवा विशेषज्ञ दल भेजने का विचार रखती है; यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

शहरी विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.के. थुंगन) (क) सुरक्षित पेयजल सुविधाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी मुख्यतः राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की है। तथापि, संघ सरकार वैकल्पिक सुरक्षित पेयजल स्त्रोत जहां भूजलरहित वर्तमान स्त्रोत दूषित पाया जाता है, का पता लगाने के लिए जिला स्तर पर जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और वित्तीय सहायता प्रदान करके सहायता करती है। जहां कहीं भी यह व्यवहार्य अथवा लागत प्रभावी नहीं होता है, वहां बैक्टीरिया संसर्ग को दूर करने के लिए उपयुक्त कार्रवाई करने के अलावा पेयजल में अत्यधिक फ्लोराइड, लवणता, अत्यधिक लोहा की समस्या पर काबू पाने के लिए उपचार संयंत्र प्रदान किए जाते हैं।

(ख) जी हां। केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड हाइड्रोग्राफ नेटवर्क केन्द्रों के जरिए वर्ष में चार बार देश भर में भूजल स्तरों का मानीटरी करता है।

(ग) जी नहीं। राज्य सरकार अथवा किसी अन्य स्त्रोत से कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।